न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 58 / 2014 एवं 59 / 2014 जिला सीकर

1. महावीर
2. प्रहलाद
   पुत्रान हरदेवाराम
3. मोनिका पत्नी संतोष
   जाति कुमावत, निवासी सालासर बस स्टेण्ड के आगे, दुर्गा स्कूल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी मूलचन्द जाति कुमावत, निवासी मण्डावरा, तहसील धोद, जिला सीकर ।
2. खेती देवी पत्नी राधाकिशन, जाति कुमावत, निवासी शेखावाटी स्कूल के पास, लौसल, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
3. नवल किशोर पुत्र हरदेवाराम, जाति कुमावत, निवासी सालासर बस स्टेण्ड के आगे, दुर्गा स्कूल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
4. संतोष देवी पत्नी सांवरमल, जाति कुमावत, निवासी सरकारी हॅास्पीटल के पास, लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
5. गोविन्द
6. अनिल
   पुत्रान ग्यारसी लाल , जाति जांगिड, निवासी मौहल्ला शेखपुरा, तहसील व जिला सीकर ।
7. सरपंच , ग्ग्रम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद , जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 19.9.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1,2,4 श्री एस.एल.कुमावत
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 5,6 श्री विजय कुमार जांगीड

अपील संख्या – 59 / 2014 जिला सीकर

1. गोविन्द
2. अनिल
   पुत्रान ग्यारसी लाल , जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी मौहल्ला शेखपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. खेती देवी पुत्री स्व. हरदेवाराम पत्नी राधाकिशन, जाति कुमावत, निवासी शेखावाटी स्कूल के पास, लौसल, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

2. शान्ति देवी पुत्री स्व. हरदेवाराम पत्नी मूलचन्द जाति कुमावत, निवासी मण्डावरा, तहसील धोद, जिला सीकर ।
3. नवल किशोर
4. प्रहलाद
5. महावीर

   पुत्रगण हरदेवाराम, समस्त जाति कुमावत, निवासीगण सालासर बस स्टेण्ड के आगे, दुर्गा स्कूल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
6. मोनिका पत्नी सतीश कुमार जाति कुमावत निवासी सालासर बस स्टेण्ड के आगे दुर्गा स्कूल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
7. संतोष देवी पुत्री स्व. हरदेवा राम पत्नी सांवरमल, जाति कुमावत, निवासी सरकारी हॉस्पीटल के पास, लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
8. सरपंच , ग्प्रम पंचायत कंवरपुरा ।
9. तहसीलदार धोद, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 19.9.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय कुमार जांगीड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1,2,7 श्री एस.एल.कुमावत
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक –20.11.2017

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 19.9.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्प्रम कंवरपुरा, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 805 रकबा 4.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 807 रकबा 0.03 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 808 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.53 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 806 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकीन कुआ का खातेदार हरदेवा राम पुत्र नोपा राम था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 567 पटवारी हल्का द्वारा केशरी देवी बेवा हरदेवा राम, [illegible] किशोर, महावीर प्रसाद, प्रहलादराम पि. हरदेवाराम के नाम भरा गया जिसे ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा दिनांक 20.3.2004 को स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर मृतक खातेदार इरदेवाराम की पुत्रियॅा खेंती देवी व शान्ति देवी द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के समक्ष दिनांक 17.10.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.9.2014 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 निरस्त कर नामांतरकरण हरदेवाराम के विधिक वारिसान के नाम करने कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 19.9.2014 के खिलाफ मृतक खातेदार हरदेवाराम के पुत्र महावीर वगैहरा द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 58/2014 पर दर्ज की गई । इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद दिनांक 19.9.2014 के खिलाफ विवादित भूमि के केता गोविन्द व अनिल पुत्रान ग्यारसी लाल जांगीड द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 59/2014 पर दर्ज की गई । दोनों अपीलों में अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 58/2014 उनवानी महावीर बनाम शान्ति में अपीलान्ट एवं अपील संख्या 59/2014 उनवानी गोविन्द बनाम खेती में रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार हरदेवाराम जाति कुमावत के फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 ग्रम पंचायत कंवरपुरा द्वारा दिनांक 20.3.2004 को अपीलान्ट संख्या 1 व 2 महावीर, प्रहलाद व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नवल किशोर पुत्रान हरदेवाराम के नाम स्वीकार किया गया था । इसके बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नवल किशोर द्वारा उसके हिस्से की भूमि को जरिये दान पत्र अपीलान्ट संख्या 3 मोनिका पत्नी संतोष को दान करदी थी और दान पत्र के आधार पर नामांतरकरण अपीलान्ट संख्या 3 के नाम स्वीकृत हो गया था । विवादित भूमि में से कुछ भूमि का विकय रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 गोविन्द व अनिल पि. ग्यारसी लाल जांगीड को हुआ एवं विकय पत्र के आधार पर केताओं गोविन्द व अनिल के नाम नामांतरकरण भी स्वीकृत हो गया । रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 संतोष देवी पुत्री मृतक खातेदार हरदेवाराम द्वारा एक दावा उनवानी संतोष बनाम नवलकिशोर बाबत घोषणा, बंटवारे का न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 व 2 महावीर व प्रहलाद एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 शांति, खेती व संतोष के मध्य आपस में राजीनामा हुआ था कि खसरा नम्बर 805 रकबा 4.30 हैक्टेयर में से 6 बीघा भूमि प्राप्त करली व उसमें तारबन्दी कर ली तथा अन्य भूमि में अपने कोई अधिकार नहीं मानते हुये दावा खारिज करने की इस्तदुवा करते हुये सहायक कलक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 26.12.2013 राजीनामा को पेश किया था जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा दावा नोटप्रेस में खारिज किया है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट खेती पुत्री हरदेवा राम वगैहरा द्वारा साढे 9 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी, जो मियाद बाहर थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर कोई विचार किये बिना ही अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा । भूमि पर अपीलान्ट्स काबिज है , लेकिन इस तथ्य पर विचार न कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट 1, 2 व 3 ने अपीलान्ट संख्या 1 व 2 महावीर व प्रहलाद के हक में अधिकारों का समोचन प्रलेख भी दिनांक 7.8.2013 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया था, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 शांति व खेती ने उक्त तथ्यों को छिपाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा 6 बीघा कच्ची भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से व दावा वापिस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

लने के पश्चात् अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के मन में कोई गलत बात न आ जावे, को ध्यान में रखते हुये उन्होंने अपीलान्ट संख्या 1 व 2 से दावा खारिज करवाने के दिन ही अपने हक में 6 बीघा कच्ची भूमि का एक विक्रय अनुबन्ध भी किया था , जिसके तथ्य को छिपाते हुये निर्णय प्राप्त किया है जो सरसरे रूप से ही निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 पर विधिवत तामिल नहीं कराई । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट संख्या 3 मोनिका के हक में किया गया दान पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं होता तब तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को विवादित भूमि में कानून कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । पक्षकारों के मध्य विचाराधीन नियमित दावे के निरस्त होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं रहते । अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट खेती की अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील संख्या 58/2014 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 यथावत रखा जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2015 डी.एन.जे.(एस.सी.)1099 पेज 106 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

अपील संख्या 59/2014 उनवानी गोविन्द बनाम खेती में बहस के दौरान वकील अपीलान्ट एवं अपील संख्या 58/2014 में रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 , गोविन्द व अनिल के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार नोला उर्फ नवलकिशोर ने विवादित भूमियॅा अपीलान्ट गोविन्द व अनिल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 22.8.2007 से 0.59 हैक्टेयर तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2007 से नवलकिशोर ने राजेन्द्र खटोड के हक में 0.44 हैक्टेयर, राजेन्द्र खटोड से नेत्रा शर्मा को 0.17 हैक्टेयर एवं नेत्रा शर्मा से अपीलान्ट को 0.17 हैक्टेयर भूमि विक्रय हुई । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने पर अपीलान्ट के नाम 0.59 हैक्टेयर व 0.17 हैक्टेयर कुल 0.76 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में चली आ रही है तथा अपीलान्ट काबिज काश्त है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नवलकिशोर विवादित भूमियों में 1/2 हिस्से अर्थात 5.54 हैक्टेयर में से 2.77 हैक्टेयर का खातेदार था जिसे धारा 42 आर.टी.एक्ट के तहत भूमि विक्रय करने का वैधानिक अधिकार था । उनका कहना था कि हरदेवाराम की विरासत के नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 को ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा मजमेआम में तस्दीक किया था जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही हरदेवाराम की तीनों पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 , 2 व 7 खेती, शान्ति व संतोष को रही थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 18.10.2013 को मियाद बाहर पेश की थी । अपील से पहले रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 संतोष देवी ने न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के समक्ष दावा संख्या 208/13 संतोष देवी बनाम नवलकिशोर बाबत खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता हाजिर थे । इस प्रकार प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को प्रारम्भ से ही रही है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 10 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि नामांतरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते । पक्षकारों के मध्य हक व अधिकारों के विचाराधीन दावे की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को थी । अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद के निर्णय तक नामांतरकरण की फिसकल प्रोसीडिंग रोक देनी चाहिये थी ,लेकिन ऐसा नहीं कर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

था कि पक्षकारों के मध्य विचाराधीन दावा राजीनामें के आधार पर नोट प्रेस में खारिज हुआ था । राजीनामें के बाहर जाकर सद्भाविक, सप्रतिफलार्थ क्रयकर्ता अपीलान्ट के हक अधिकार प्रभावित नहीं कर सकते । उनका कहना था कि जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते तब तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण महत्वपूर्ण विधिक तथ्यों को नजरन्दाज कर रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

दोनों अपीलों में रेस्पोंडेन्ट खेती, शान्ति व संतोष पुत्रियॅा मृतक खातेदार हरदेवाराम के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार हरदेवाराम था जिसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार हरदेवाराम की पुत्रियॅा खेती, शान्ति व संतोष को छोडकर केशरी देवी बेवा हरदेवाराम, नवकिशोर, महावीर प्रसाद, प्रहलाद राम पुत्रान हरदेवाराम के नाम स्वीकार कर दिया , जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट खेती, शान्ति व संतोष हरदेवाराम की जायन्दा पुत्रियॅा है और वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । उनका कहना था अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त किया है एवं नामांतरकरण हरदेवाराम के विधिक वारिसान के नाम करने की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे ।

प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हरदेवाराम की विरासत का है । हरदेवाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2003 केशरी देवी बेवा हरदेवाराम, नवल किशोर, महावीर प्रसाद व प्रहलादराम पुत्रान हरदेवाराम के नाम ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा तस्दीक किया गया है । रेस्पोंडेन्ट खेती, शान्ति व संतोष मृतक खातेदार हरदेवाराम की पुत्रियॅा होने से पिता की सम्पत्ति में हक चाहती है । अपील संख्या 59/2014 के अपीलान्ट व अपील संख्या 58/2014 के रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 गोविन्द व अनिल विवादित भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से खेती देवी वगैहरा की अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त किया है तथा प्रकरण में विवादित आराजियात का नामांतरकरण हरदेवाराम के विधिक वारिसान के नाम करने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया है । चूंकि प्रकरण में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 के खिलाफ खेती देवी वगैहरा द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2013 को 10 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब का कारण रेस्पोंडेन्ट द्वारा आराजियात को विक्रय करने एवं उन्हें बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 1.10.2013 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है । यह मानने योग्य नहीं है कि किसी पुत्र. या पुत्री को उनके पिता की विरासत के नामांतरकरण का ज्ञान समय पर नहीं हो । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये था, लेकिन मियाद के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट नवलकिशोर के तामील नोटिस पर नवलकिशोर के

विग्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हस्ताक्षर नहीं होकर सतीश नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर है एवं रेस्पोंडेन्ट प्रहलाद के तामिल नोटिस पर प्रहलाद के हस्ताक्षर नहीं होकर गीता पत्नि प्रहलाद के हस्ताक्षर है, जो विधिवत तामिल नहीं है । प्रकरण में पक्षकारों की विधिवत तामिल कराये बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नजीर 2015 डी.एन.जे. (एस.सी.)1088 पेज 106 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को तय कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 19.9.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उपरोक्तानुसार पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर